

25.2.2020

प्रार्थी अपीलार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार, सिरौही द्वारा प्रकरण संख्या 60/2019 में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील के क्रम में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 81 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। चूंकि मूल अपील आज निर्णित होकर खारिज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का यह स्थगन प्रार्थना पत्र अब प्रभाव होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फ़ैसल शुमार हो एवं नंबर से कम हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सिरौही

